HEAD OFFICE

UTTARAKHAND ENVIRONMENT PROTECTION & POLLUTION CONTROL BOARD
Gauradevi Parayavaran Bhawan
46-B, SIDCUL, IT Park, Sahashtradhara Road
DEHRADUN (Uttarakhand)

उत्तराखण्डपर्यावरणसंरक्षण एवंप्रदूषणनियंत्रण बोर्ड
गौरादेवी पर्यावरण भवन
46–बी, सिडकुल, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़,
देहरादून(उत्तराखण्ड)

Web: www.ueppcb.uk.gov.in

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 21 वीं बैठक का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 21 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 27.02.2018 को बोर्ड मुख्यालय, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गौरादेवी पर्यावरण भवन, में अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी। बैठक में निम्न सदस्य/सदस्यों के प्रतिनिधि उपस्थित थे :–

1. श्री आनन्द वर्द्धन, **अध्यक्ष**, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
2. श्री जयराज, सदस्य/प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), वन विभाग, देहरादून।
3. श्री एस0 पी0 सुबुद्धि, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
4. श्री उमेश नारायण पाण्डेय, सदस्य/अपर सचिव, औद्योगिक विकास।
5. श्री आलोक कुमार पाण्डेय, सदस्य/ उपाध्यक्ष HDA हरिद्वार।
6. श्री पंकज गुप्ता, सदस्य/अध्यक्ष इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन–प्रतिनिधि उत्तराखण्ड चेम्बर आफ कामर्स।
7. श्री नीरज जोशी, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून (प्रतिनिधि, नगर आयुक्त)।
8. डा0 आर0के0 सिंह, वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी, देहरादून (प्रतिनिधि, नगर आयुक्त)।
9. श्री एल0एम0 कनार्टक, अधिक्षण अभियंता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून, (प्रतिनिधि, मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम)।
10. श्री लोकेश कुमार शर्मा, निदेशक(तकनीकी) सिडकुल, (प्रतिनिधि, प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल)।

सर्वप्रथम सदस्य सचिव, द्वारा बोर्ड अध्यक्ष एवं सभी बोर्ड सदस्यों का स्वागत करते हुये अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक में प्रस्तावित कार्य सूची के बिन्दुओं पर विचार विमर्श कर सर्वसम्मत से निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

कार्यसूची सं0– 21.1 बोर्ड की 20वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन एवं उक्त बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से बोर्ड सदस्यों को अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड की 20वीं बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दुओं पर सदस्य सचिव, राज्य बोर्ड द्वारा अनुपालन की स्थिति से बोर्ड बैठक में सदस्यों को अवगत कराया गया तथा बोर्ड द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर निर्देश के साथ बोर्ड की 20 वीं बैठक में कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान किया गयाः–

कार्य सूची मद संख्या	बिन्दु/लिया गया निर्णय	अनुपालन की स्थिति
20.1	बोर्ड की 19 वीं बैठक में बिन्दु सं0 19.1 के संबंध में बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि पी0सी0आर0आई0 द्वारा बनायी गयी फाइनल रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण अलग से बोर्ड सदस्यों की बैठक बुलाकर किया जाये।Sawen Consultancy Service द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट को अनुमोदन किया जाता है एवं सम्बन्धित संस्था को	कार्य सूची सं0 20.1 बोर्ड बैठक में विचार विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि प्रदूषण नियंत्रण शोध संस्थान, बी0एच0ई0एल0, हरिद्वार द्वारा तैयार की गयी देहरादून एवं हरिद्वार शहर हेतु "वायु गुणवत्ता कार्ययोजना" रिपोर्ट के प्रस्तुतिकरण हेतु बोर्ड सदस्यों की अलग से बैठक आहुत की जाय।

	अनुबन्ध के अनुसार शेष धनराशि भुगतान कर दिया जाये।	
20.2	प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड ईको टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उत्तराखण्ड के पत्र सं0 271/3–2 दिनांक 25 जून 2016 के क्रम में कॉरपोरेशन को रू0 30.00 करोड़ (रूपये तीस करोड़ मात्र) धनराशि लोन के रूप में उपलब्ध कराये जाने के संबंध में। बोर्ड की 20वीं बैठक में निम्न निर्णय लिया गया था। 1. ईको टूरिज्म विकास कॉरपोरेशन को लोन की धनराशि उपलब्ध कराने से पूर्व Specific Terms and Conditions निर्धारित कि जाये। 2. ईको टूरिज्म विकास कॉरपोरेशन को उपलब्ध कराये गये लोन की एवज में उनसे ब्याज नहीं लिया जायेगा। 3. सावधि जमा को परिपक्वता पर इनकैश कर ईको टूरिज्म विकास कॉरपोरेशन को रू0 30.00 करोड़ की सीमा तक उनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्तेक परियोजना के आधार पर उस परियोजना के लिये आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायी जाये। 4. ईको टूरिज्म विकास कॉरपोरेशन द्वारा प्रस्तुत परियोजना का परीक्षण सदस्य सचिव के स्तर से किया जाये। 5. भविष्य में बोर्ड एवं ईको टूरिज्म विकास कॉरपोरेशन के मध्य कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर उसका निवारण आई0डी0सी0 के स्तर से किया जाये।	कार्य सूची सं0 20.2 पर बोर्ड बैठक मेंविचार विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि बोर्ड द्वारा शासन को प्रेषित पत्रांकयूईपीपीसीबी/ एचओ/ सा0–421/ 2019/8906–1598 दिनांक 11.02.2019 के क्रम में शासन से अग्रेतर निर्देश प्राप्त होने तक प्रकरण कोabeyanceमें रखा जाये।
20.3	जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 के अनुपालन एवं इण्डियन मेडिकल एसोसियेशन से प्राप्त प्रत्यावेदन के क्रम में जैव चिकित्सा अपशिष्ट जनित करने वाले अस्पतालों एवं परिचर्या गृहों से प्राधिकार एवं सहमति शुल्क निर्धारण करने के सम्बन्ध में।	कार्य सूची सं0 20.3 पर सदस्यों द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किये गये कार्यवाही का अवलोकन एवं अनुमोदन किया गया।
20.4	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत प्रख्यापित विभिन्न नियमों के अन्तर्गत पंजीकरण शुल्क के सम्बन्ध में।	कार्य सूची सं0 20.4 पर सदस्यों द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किये गये कार्यवाही का अवलोकन एवं अनुमोदन किया गया।
20.5	उत्तराखण्ड राज्य में संयुक्त उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्रों (CETP) के अतर्गम क्वालिटी मानक (Inlet Quality Standard) के सम्बन्ध में।	कार्य सूची सं0 20.5 पर सदस्यों द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किये गये कार्यवाही का अवलोकन एवं अनुमोदन किया गया तथा निर्देश दिये गये कि यदि कोई उद्योग उक्त मानकों का उल्लंघन करता है तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सम्बन्धित उद्योग के विरूद्ध नियमानुसारकार्यवाही सुनिश्चित करेगा।
20.6	बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के पुनरूद्वार/मरम्मत एवं कार्यालय भवन के निर्माण के सम्बन्ध में	कार्य सूची सं0 20.6 पर सदस्यों द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किये गये कार्यवाही का अवलोकन एवं अनुमोदन किया गया तथा निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों से भवन के मरम्मत हेतु विस्तृत आगंणन 01 माह के अन्दर तैयार कर बोर्ड मुख्यालय कोअग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित करेगें।

20.7	20.8, 20.9, 20.10 के सम्बन्ध में समयभाव में चर्चा नहीं हो सकी अतः निर्णय लिया गया, कि उपरोक्त प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जाये।	कार्यसूची सं0 20.8 एवं 20.10 पर बोर्ड की 21 वीं बोर्ड बैठक में कार्यसूची सं0 21.3 एवं 21.5 के रूप में रखा गया है। कार्यसूची सं0 20.9 को 21वीं बोर्ड बैठक में चर्चा हेतु नहीं रखा गया है। सदस्यों द्वारा कार्यवाही का अवलोकन किया गया।
20.11	उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में तकनीकी परामर्श दाती समिति (Technical Advisory Committee) के गठन के सम्बन्ध में।	कार्य सूची सं0 20.11 पर सदस्यों द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किये गये कार्यवाही का अवलोकन एवं अनुमोदन किया गया तथा निर्देश दिये गये कि यथाशीघ्र विभिन्न संस्थानों से विशेषज्ञों का चयन कर समिति का गठन बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार किया जाय।
20.12	अनुपुरक एजेन्डा 1,2 एवं 3	कार्यसूची सं0 20.12 अनुपुरक एजेन्डा 1 को बोर्ड की 21वीं बोर्ड बैठक में कार्यसूची सं0 21.2 में रखा गया है। अनुपूरक ऐजन्डा 2 एवं 3 को 21वीं बोर्ड बैठक में चर्चा हेतु नहीं रखा गया है। सदस्यों द्वारा कार्यवाही का अवलोकन किया गया।

कार्यसूची सं0– 21.2 होटल उद्योग, धर्मशालाओं एवं आश्रमों के सहमति शुल्क के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव :–

होटल एवं रेस्टोरेन्ट एसोसियेशन के द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के बिन्दु सं0–04 पर जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत सहमति शुल्क के सम्बन्ध में यह आग्रह किया गया है कि वर्तमान में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा होटलों के लिये निर्धारित शुल्क अत्यधिक है, जिसे उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हिमाचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा निर्धारित शुल्क से कम रखा जाये तथा शुल्क का आंकलन होटलों में प्रति कमरें के आधार पर किया जाये। इसके साथ–साथ प्रत्यावेदन के बिन्दु सं0–5 पर यह अनुरोध किया गया है कि जिन होटलों द्वारा अभी तक संचालनार्थ सहमति प्राप्त नहीं किया गया है उनसे पिछले वर्षो का सहमति शुल्क न लिया जाये।

उक्त प्रत्यावेदन के क्रम में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा हिमाचल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा जम्मू एवं कश्मीर द्वारा होटलों के लिये निर्धारित शुल्कों का अध्ययन किया गया। अध्ययन के क्रम में यह अवगत कराना है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो के द्वारा होटलों को औद्योगिक श्रेणी में रखकर शुल्क की आंगणन Capital Investment के आधार पर किया जाता रहा हे। जबकि जम्मू कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा होटलों को उद्योगों से अलग श्रेणी में रखकर शुल्क का आंकलन प्रति कमरे के आधार पर किया गया है। सम्बन्धित प्रकरण पर विस्तृत विचार–विमर्श के पश्चात् निम्न तथ्य संज्ञान में लाये जा रहे हैं :–

1. 20 कमरे तथा उससे कम कमरों के होटल हरी श्रेणी में है तथा इस श्रेणी में आच्छादित अधिकांश होटल 50 लाख से कम के विनिवेश की श्रेणी में आते हैं, जिस हेतु प्रारम्भिक शुल्क रू0 2,000 व नवीनीकरण शुल्क रू0 1,000 प्रति वर्ष बोर्ड द्वारा लिया जा रहा है।
2. 21 कमरों से 50 कमरों तक के होटल नारंगी श्रेणी में है तथा इस श्रेणी में आच्छादित अधिकांश होटल 50 लाख से 1करोड़ तक के विनिवेश की श्रेणी में आते हैं, जिस हेतु प्रारम्भिक शुल्क रू0 25,000 व नवीनीकरण शुल्क रू0 15,000 प्रतिवर्ष बोर्ड द्वारा लिया जा रहा है।
3. 51 कमरों से 100 कमरों तक के होटल नारंगी श्रेणी में है तथा इस श्रेणी में आच्छादित अधिकांश होटल 1 करोड़ से 5 करोड़ तक के विनिवेश की श्रेणी में आते हैं, जिस हेतु प्रारम्भि शुल्क रू0 50,000 व नवीनीकरण शुल्क रू0 25,000 प्रतिवर्ष बोर्ड द्वारा लिया जा रहा है।
4. 100 कमरों से अधिक के होटल लाल श्रेणी में है तथा इस श्रेणी में आच्छादित अधिकांश होटल 5 करोड़ से अधिक के विनिवेश की श्रेणी में आते हैं, जिस हेतु प्रारम्भि शुल्क रू0 75,000 व नवीनीकरण शुल्क रू0 50,000 प्रतिवर्ष बोर्ड द्वारा लिया जा रहा है।

होटल एवं रेस्टोरेन्ट एसोसियेशन ऑफ उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्र जो सचिव, पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन के माध्यम से प्राप्त पत्र में यह भी अनुरोध किया गया है कि सहमति शुल्क को होटल/अधिष्ठान की

स्थापना से न लिया जाये। अग्रेतर होटल एवं रेस्टोरेन्ट एसोसियेशन ऑफ उत्तराखण्ड द्वारा श्री मदन कौशिक जी, मा0 मंत्री शहरी आवास एवं विकास, उत्तराखण्ड सरकार को प्रेषित पत्र दिनांक 02.09.2018 जो मुख्य सचिव महोदय के कार्यालय से आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को प्राप्त है। पत्र में यह अनुरोध किया गया है कि सहमति शुल्क को वर्ष 2000 से न लिया जाये। सहमति शुल्क को वर्तमान वर्ष (2018–19) से लिया जाये।

राज्य में स्थापित/संचालित होटलों को सहमति प्राप्त करने में सुगमता तथा पर्यावरणीय नियमों के निरन्तर अनुपालन हेतु यह आवश्यक है कि होटल उद्योगों के सहमति प्राप्त करने की व्यवस्था का सरलीकरण किया जाये, जिससे अधिक से अधिक होटल सहमति प्राप्त कर संचालति होवें। राज्य बोर्ड को भी पयावरणीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने में आसानी होगी। यहां यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है, कि उत्तराखण्ड राज्य एक पर्यटक प्रदेश के रूप में विकसित हो रहा है तथा उत्तराखण्ड राज्य में मात्र 06 माह हेतु यात्रा सीजन होता है, अन्य 06 माह होटलों में यात्रियों की संख्या अपेक्षा से कम होती है, अतः प्रस्तावित है कि सहमति शुल्क की आगणन वर्ष 2018–19 से ही की जाये।

वर्तमान में होटल संघ के प्रत्यावेदन के क्रम में राज्य में स्थित होटलों द्वारा अधिकाधिक रूप से जल अधिनियम/वायु अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन कराने के लिये सहमति शुल्क में शिथिलता दी जानी प्रस्तावित है, जो निम्नानुसार है:–

क्र0स0	स्थापित एवं संचालित कमरों की संख्या	प्रारम्भिक सहमति शुल्क	नवीनीकरण सहमति शुल्क
1	≤ 20 Room	2000	1000
2	≥ 21 Room to 50 Room	7500	5000
3	≥ 51 Room to 100 Room	10,000	7,500
4	≥ 101 Room & Above	15,000	10,000
5	अन्य जो उपरोक्त में आच्छादित नहीं है (जैसे–कैम्प, टैंट, रेस्टोरेन्ट, कैफे आदि)।	1000	1000

मा0 एन.जी.टी. द्वारा गंगा प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में दिनांक 10.12.2015 में निर्गत निर्देशों के अनुपालन हेतु गठित सुपरवाईजरी कमेटी द्वारा दिनांक 06.08.2018 को सम्पन्न बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को धर्मशाला एवं आश्रमों को सहमति की परिधि में आच्छादित करना चाहिए।

उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित एवं संचालित होने वोल आश्रमों एवं धर्मशालाओं को भी सहमति प्रक्रिया में लिया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में धर्मशालाओं एवं आश्रमों के द्वारा राज्य बोर्ड से सहमति हेतु आवेदन नहीं किये जा रहे है। जिसके सम्बन्ध में राज्य बोर्ड द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण के आदेश के क्रम में जन सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से भी प्रकाशित किया जा चुका है। चूंकि धर्मशाला एवं आश्रम लाभ कमाने वाले प्रतिष्ठान नहीं है, अतः आश्रम एवं धर्मशालाओं को सहमति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम सहमति शुल्क निम्नानुसार प्रस्तावित है।

क्र0स0	स्थापित एवं संचालित कमरों की संख्या	प्रारम्भिक सहमति शुल्क	नवीनीकरण सहमति शुल्क
1	≤ 20 Room	1000	500
2	≥ 21 Room to 50 Room	3000	1500
3	≥ 51 Room to 100 Room	5000	2500
4	≥ 101 Room & Above	75,000	5000
5	अन्य जो उपरोक्त में आच्छादित नहीं है।	1000	500

होटलों में सहमति शुल्क के संबंध में राज्य बोर्ड की 18 वीं बोर्ड बैठक में विचार विमर्श किया गया एवं निम्नलिखित निर्णय लिये गये:–

क. 20 कमरों तक के होटलों को देय शुल्क में अधिकतम 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। यदि किसी होटल द्वारा पूर्व मं लगातार सहमति प्राप्त की जा रही है तो उन होटलों को अग्रेतर 10 वर्षों के लिए शुल्क में छूट दी जायेगी।

ख. 21 से 50 कमरों के होटल को देय शुल्क में अधिकतम 05 वर्ष की छूट दी जाएगी। यदि किसी होटल द्वारा पूर्व में लगातार सहमति प्राप्त की जा रही है तो उन होटलों को अग्रेतर 05 वर्षों के लिए शुल्क से छूट दी जाएगी।

ग. 50 कमरों से अधिक होटलों को किसी प्रकार की शुल्क में छूट नहीं दी जाएगी। शुल्क की व्यवस्था पूर्वानुसार ही रहेगी।

घ. तीन स्टार, से अधिक होटलों पर शुल्क पूर्व व्यवस्था के अनुसार रहेगी।

उक्त व्यवस्था 31.03.2016 तक लागू रहेगी।

उक्त छूट की व्यवस्था समय–समय पर अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के उपरान्त दिनांक 31.05.2017 तक विस्तारित की गई थी।

वर्तमान में होटलों/आश्रमों/धर्मशालाओं का सहमति शुल्क में दी जाने वाली छूट को 16 वर्षों के लिये (बोर्ड गठन वर्ष 2002 से मार्च, 2018 तक) लागू किया जाना प्रस्तावित है तथा उपरोक्त तालिका के अनुसार 01.04.2018 से सहमति शुल्क लिया जाना प्रस्तावित है। यदि होटलों/आश्रमों/धर्मशालाओं द्वारा 31.03.2020 तक सहमति शुल्क के साथ आवेदन नहीं किया जाता है, तो होटलों/आश्रमों/धर्मशालाओं के कक्ष संख्या के अनुसार प्रारम्भिक सहमति शुल्क पर वर्ष 2018–19 से आवेदन करने वाले वर्ष तक उक्त सहमति हेतु प्रारम्भिक शुल्क का 10 प्रतिशत चक्रवर्ती ब्याज के साथ लिया जायेगा।

निर्णयः–

कार्य सूची सं0 21.2 पर बोर्ड बैठक में विचार विमर्श किया गया तथा होटलों, आश्रमों एवं धर्मशालाओं हेतु प्रस्तावित सहमति शुल्क का अनुमोदन किया गया इस सम्बन्ध में यह भी निर्देश दिये गये कि यदि कोई होटल 30.03.2020 तक निर्धारित शुल्क के अनुसार सहमति हेतु आवेदन नहीं करता है तो उक्त होटल पर निर्धारित शुल्क वर्ष 2002 से या होटल की स्थापना वर्ष से आगंणन किया जाय तथा यह भी निर्देश दिये गये कि कॉमर्शियल(Commercial)पी0जी0 हॉस्टल, प्राइवेट हॉस्टल तथा एजुकेशनल इन्स्ट्टीयूट आदि को भी सहमति प्रक्रिया के अन्तर्गत लिया जाय। इस सम्बन्ध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रस्ताव तैयार करेगा। जिसे अध्यक्ष राज्य प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त कर आगामी बोर्ड बैठक में मा0 सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाय।

कार्य सूची सं0 21.3मिनिस्ट्रियल संवर्ग में कनिष्ठ सहायक के अतिरिक्त पद स्वीकृत हेतु प्रस्ताव।

प्रस्ताव :–

शासन द्वारा राज्य बोर्ड के पुनरीक्षित ढांचे में कनिष्ठ सहायक के 05 पद स्वीकृत किये गये हैं। वर्तमान में बोर्ड मुख्यालय के अतिरिक्त 04 क्षेत्रीय कार्यालय संचालित है। कार्यालय कार्यों के दृष्टिगत स्वीकृत पद कम हैं। वर्तमान में बोर्ड मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्य की अधिकता के कारण लिपिकीय कार्यों हेतु 12 कार्मिक आऊटसोर्स एजेंसी (उपनल) के माध्यम से योजित किये गये हैं। वर्तमान में 12 कार्मिक आऊटसोर्स एजेंसी के माध्यम से निम्न प्रकार कार्यालयों में नियोजित हैः–

क्र0स0	कार्यालय का नाम	कार्मिकों की संख्या
1	बोर्ड मुख्यालय	04
2	क्षेत्रीय अधिकारी, कार्यालय, देहरादून	02
3	क्षेत्रीय अधिकारी, कार्यालय, रूड़की	03
4	क्षेत्रीय अधिकारी, कार्यालय, काशीपुर	01
5	क्षेत्रीय अधिकारी, कार्यालय, हल्द्वानी	01
6	मा0 मंत्री, वन एवं पर्यावरण कार्यालय	01

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत कार्यालय कार्यों के सुचारू सम्पादन हेतु बोर्ड के स्वीकृत ढांचे में नियमित 05 कनिष्ठ सहायकों के अतिरिक्त नियमित 10 पद कनिष्ठ सहायकों के स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है। पदों पर शासन से स्वीकृति प्रदान होने तक उक्त कार्मिकों को उपनल के माध्यम से लिया जाना प्रस्तावित है।

निर्णयः–

कार्य सूची सं0 21.3 पर बोर्ड बैठक में विचार विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि कार्यों के अधिकता को देखते हुये आऊटसोर्स के माध्यम से 12 मल्टी टास्क स्टाफ (MTS) हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाए तथा उक्त प्रस्ताव को उत्तराखण्ड शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाए।

कार्य सूची सं0 21.4 बोर्ड मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यों के तकनीकी/वैज्ञानिक कार्यों हेतुअतिरिक्त मानव शक्ति रखे जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव :–

राज्य बोर्ड में वर्तमान में कुल तकनीकी एवं वैज्ञानिक संवर्ग में कार्मिकों की संख्या ढांचे के सापेक्ष निम्नानुसार हैः–

क्र.स.	स्वीकृत पद	कुल स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1.	मुख्य पर्यावरण अधिकारी	02	शुन्य
2	पर्यावरण अभियंता	05	02
3	वैज्ञानिक अधिकारी	05	02
4	सहा0 पर्यावरण अभियंता	08	02
5	सहा0 वैज्ञानिक अधिकारी	08	03
6	अवर अभियंता	11	11
7	वैज्ञानिक सहायक	11	08
8	प्रयोगशाला सहायक	08	08
9	अनुश्रवण सहायक	09	08

राज्य बोर्ड के ढांचे के सापेक्ष तकनीकी एवं वैज्ञानिक संवर्ग के द्वितीय श्रेणी के कार्मिकों की सीधी भर्ती के माध्यम से चयन किया जाना है तथा बोर्ड द्वारा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के सीधी भर्ती हेु अधीनस्थ चयन आयोग को कार्य दिया गया है, वर्तमान में राज्य बोर्ड के गंगा नदी/नदी नालों/संयुक्त उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र, घरेलू उत्प्रवाह संयुक्त शुद्धीकरण संयंत्र एवं प्रदेश के संचालित उद्योगों की भौतिक निरीक्षण का कार्य किया जाता है। समय–सयम पर मा0 न्यायालयों/राष्ट्रीय हरित अभिकरण एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के क्रम में उद्योगों, नगर पालिकाओं, अस्पताल, नदी नालों एवं अन्य शुद्धीकृत उत्प्रवाह संयंत्र एवं वायु गुणवत्ता अनुश्रवण का कार्यों को प्राथमिकता एवं समयावधि के आधार पर किया जाना होता है एवं समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत आख्या मा0 न्यायालयों में दाखिल किया जाना होता है वर्तमान में बोर्ड में तकनीकी/वैज्ञानिक कार्मिकों की कमी है जिस कारण निर्धारित समय अवधि में उद्योग, अस्पतालों, नगर निकायों, लोक शिकायतों तथा मा0 न्यायालयों के आदेशों के क्रम में निरीक्षण किये जाने में कठिनाईयां होती हैं। इस सम्बन्ध बोर्ड के समक्ष निम्नन प्रस्ताव प्रस्तुत हैः–

1. बोर्ड की 19वीं बैठक में निर्णय लिया गया था कि बोर्ड के स्वीकृत ढांचे के सापेक्ष रिक्त तृतीय श्रेणी के पदों पर उत्तराखण्ड अधीनस्थ चयन आयोग को प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जाये, इस क्रम में बोर्ड द्वारा दिनांक 07.06.2018 को अधीनस्थ चयन आयोग को रिक्त पदों का विवरण प्राप्त कराया जा चुका है परन्तु वर्तमान तक भी आयोग द्वारा भर्ती का कार्य सम्पन्न नहीं किया गया है। वर्तमान में बोर्ड में प्रचलित सेवा नियमावली के अनुसार अवर अभियंता, वैज्ञानिक सहायक, प्रयोगशाला सहायक तथा अनुश्रवण सहायकों आदि तृतीय श्रेणी के कार्मिकों का सीधी भर्ती के माध्यम से चयन किया जा सकता है। अतः उचित होगा की तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों पर बोर्ड स्तर से ही भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ प्रचलित सेवा नियमावली के अनुसार किये जाने हेतु अनुमोदन अपेक्षित है।

2. बोर्ड में बढते अनुश्रवण कार्यों के सुचारू सम्पादन हेतु बोर्ड के स्वीकृत ढांचे के अतिरिक्त 20 जूनियर रिसर्च फैलो (वैज्ञानिक एवं तकनीकी योग्यता वाले) को तीन साल हेतु बोर्ड में किया जाना प्रस्तावित है।उक्त कार्मिकों को बोर्ड के ढांचे के सापेक्ष नहीं रखा जाना है।

3. बोर्ड में कम्प्यूटर आपरेटर/डाटा एन्टी आपरेटर के रूप में कोई भी पद स्वीकृत नहीं है वर्तमान में बोर्ड में कुल 12 कार्मिक उपनल के माध्यम से कार्यरत हैं।

क्र. स.	कार्यालय का नाम	कार्यरत कार्मिक
1	बोर्ड मुख्यालय	04
2	क्षेत्रीय अधिकारी, कार्यालय, देहरादून	02
3	क्षेत्रीय अधिकारी, कार्यालय, रूड़की	03
4	क्षेत्रीय अधिकारी, कार्यालय, काशीपुर	01
5	क्षेत्रीय अधिकारी, कार्यालय, हल्द्वानी	01
6	मा0 मंत्री, वन एवं पर्यावरण कार्यालय	01

4. प्रस्ताव है कि बोर्ड कार्य हेतु अतिरिक्त 10 कम्प्यूटर आपरेटर/डाटा एन्टी आपरेटर को उपनल के माध्यम से योजित किया जाये। बोर्ड मुख्यालय में विभिन्न क्रियाकलापों जैसे कि Municipal Solid Waste Management Rules 2016, Bio-Medical Waste Management Rules 2016, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम, हजार्ड्स वेस्ट मैनेजमेंट एवं उद्योगों के सहमति प्राधिकार, कारण बताओ नोटिस एवं बन्दी आदेश का डाटा वैस तैयार किया जाना तथा वार्षिक रिपोर्ट ससमय केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित करना होता है। उक्त कार्मिकों को बोर्ड के ढांचे के सापेक्ष नहीं रखा जाना है।

निर्णयः–

कार्य सूची सं0 21.4 पर बोर्ड बैठक में विचार–विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि तृतीय श्रेणी के कार्मिकों के सीधी भर्ती हेतु पुनः संशोधित प्रस्ताव (वर्तमान आरक्षण रोस्टर प्रणाली के अनुरूप) तैयार कर अधीनस्थ चयन आयोग को सीधी भर्ती हेतु प्रेषित किया जाए तथा वर्तमान में बोर्ड ढांचे के सापेक्ष खाली पदों जैसे कि अवर अभियंता, वैज्ञानिक सहायक, अनुश्रवण सहायक, प्रयोगशाला सहायक, लेखाकार, सहायक लेखाकार, ज्येष्ठ लेखा परीक्षक, विधि अधिकारी एवं मुख्य सहायक विधि आदि के पदों पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से सीधी भर्ती होने तक नियोजित किया जाये।

इसके अतिरिक्त बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि बोर्ड कार्यों के सुचारू सम्पादन हेतु 20 जूनियर रिसर्च फैलो (वैज्ञानिक एवं तकनीकि योग्यता वाले) कार्मिकों को बोर्ड कार्यों हेतु आबद्ध किया जाये। इस सम्बन्ध में यह भी निर्देश दिये गये कि उक्त व्यवस्था पूर्ण रूप से Contractual पर आधारित होगा तथा इस सम्बन्ध में जे0आर0एफ0 हेतु शैक्षिक योग्यता, मानदेय तथा उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विवरण सम्मलित कर प्रस्ताव तैयार किया जाये एवं अध्यक्ष, बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त कर नियोजन की कार्यवाही किया जाये।

कार्य सूची सं0 21.5 उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी 2014 के क्रम में उत्तराखण्ड सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (प्रथम संशोधन) नियमावली 2014 लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव :–

उत्तराखण्ड शासन द्वारा अधिसूचना संख्या 107/xxx(2)/2014–55(41)/2004 दिनांक 25 फरवरी 2014 के उत्तराखण्ड सेवाओं भर्ती (आयु सीमा) (प्रथम संशोधन) नियमावली 2014 के अनुसारः–
इस नियमावली के अधीन ऐसी समस्त सेवाओं तथा पदों के सम्बन्ध में जिन पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष होगी।
परन्तु यह कि इस संशोधन से पूर्व जारी विज्ञापनों में आयु सीमा यथावत रहेगी।

निर्णयः–

कार्य सूची सं0 21.5 पर बोर्ड बैठक में विचार–विमर्श किया गया तथा प्रस्ताव पर बैठक में अनुमोदन दिया गया।

कार्य सूची सं0 21.6 राज्य प्रदूषण का नाम उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूईपीपीसीबी) से उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव :–

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण तथा निवारण) अधिनियम 1974 की धारा–4 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुए उत्तरांचल शासन, वन एवं पर्यावरण की अधिसूचना संख्या 7756/I–व0ग्रा0वि0/2001–3(1)/2000 दिनांक 26.12.2001 को किया गया।

वर्ष 2003 में उत्तरांचल प्रदूषण बोर्ड का नाम परिवर्तित कर उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किया गया था। उक्त नाम परिवर्तन का मुख्य कारण नये उत्तरांचल राज्य में पर्यावरण निदेशालय का अस्थतित्व में न आना था तथा पर्यावरण सम्बन्धी कार्यों के निस्पादन हेतु सीमित कार्यालय एवं मानव शक्ति न होने के कारण जबकि वर्तमान में शासन स्तर पर पर्यावरण निदेशालय की स्थापना हेतु कार्यवाही गतिमान हैं जल(प्रदूषण एवं निवारण) अधिनियम 1974 की धारा–17 के अनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निम्न कर्त्यव्य निर्धारित किये गये हैं :–

1. To Plan a comprehensive pogramme for the prevention, control or abatement of pollution of streams and wells in the State and to secure the execution thereof
2. To advise the State Government on any matter concerning the prevention, control or abatement of water pollution.
3. To collect and disseminate information relating to water pollution and the prevention, control or abatement thereof;
4. To encourage, conduct and participate in investigations and research relating to problems of water pollution and prevention, control or abatement of water pollution.
5. To collaborate with the Central Board in organising the training of persons engaged or to be engaged in programmes relating to prevention, control or abatement of water pollution and to organise mass education programmes relating thereto;
6. To inspect sewage or trade effluents, works and plants for the treatment of Sewage and trade effluents and to review plans, specifications or other data relating to plants set up for the treatment of water, works for the purification thereof and the system for the disposal of sewage or trade effluents or in connection with the grant of any consent as required by this Act;
7. To perform such other functions as may be prescribed or as may, from time to time be entrusted to it by the Central Board or the State Government.
8. The Board may establish or recognise a laboratory or laboratories to enable the Board to perform its functions under this section efficiently, including the analysis of samples of water from any stream or well or of samples of any sewage or trade effluents.

देश के अन्य राज्यों एवं पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में भी राज्य बोर्डों का नाम राज्य के नाम के साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जोडकर रखा गया है अतः मा0 बोर्ड सदस्यों के समक्ष प्रस्ताव है कि राज्य बोर्ड का नाम उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परिवर्तन कर उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रखा जाय।

निर्णयः–

कार्यसूची सं0 21.6 पर बोर्ड बैठक में विचार–विमर्श किया गया तथा प्रस्ताव पर अनुमोदन दिया गया तथा यह निर्देश दिया गया कि प्रस्ताव तैयार कर शासन को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाये।

कार्यसूची सं0 21.7मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 20.01.2018 को वर्ष 2018–19 में ईज आफ डुईग बिजनेस के अन्तर्गत बिजनेस रिफोर्म एक्सन प्लान (BRAP) के विषय में इंगित Decision के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव :–

उपरोक्त उल्लेखित विषगत प्रकरण पर राज्य सरकार द्वारा डी0आर0ए0पी0 के क्रियाव्यन के सम्बन्ध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निम्न निर्णय लिये जाने हैं:–

1. XGN Potal से OCMMS में migration की प्रक्रिया जल्द ही प्रारम्भ की जाये।
2. हरित श्रेणी की ईकाइयों हेतु स्वय प्रमाणन अथवा विकल्प के रूप में Third Party Certification अनिवार्य की जाये।
3. नारंगी श्रेणी के ईकाइयों हेतु Third Party Certification अनिवार्य की जाये।
4. Compliance Inspection को Central Inspection System के अधीन रखा जाये।
5. कार्यालय अध्यक्ष के अनुमति से ही Surprise Inspection हेतु शासनादेश जारी करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाये।

उपरोक्त 05 बिन्दुओं के सापेक्ष बिन्दु सं0 01 पर NIC नई दिल्ली से आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेश निर्गत कर दिये गये हैं तथा बिन्दु सं0 02 के सापेक्ष कार्यवाही हेतु कार्यालय आदेश निर्गत कर दिये गये हैं। बिन्दु सं0 05 के सापेक्ष कार्यालय आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

अध्यक्ष राज्य बोर्ड के निर्देश के क्रम में नारंगी श्रेणी के उद्योगों के सहमति नवीनीकरण सम्बन्धी आवेदनों का निस्तारण Third Party Inspection के माध्यम से किये जाने के क्रम में जल अधिनियम–1974 की धारा–21 के अतिरिक्त जल अधिनियम–1974 की धारा–23 में दी गयी व्यवस्था के सम्बन्ध में आपके संज्ञान में निम्न तथ्य लाया है:–

23. Power of Entry and Inspection- (1) Subject to the provisions of this Section any person empowered by a State Board in this behalf shall have a right at any time to enter, with such assistance as he considers necessary, any place-

(a) For the prupose of peforming any fuctions of the Board entrusted to him;

(b) For the purpose of determining whether and if so in what manner, any such functions are to be performed or whether and provisions of this Act or the rules made thereunder or any notice, Order, direction or authorisation served, made, given, or granted under this Act is being or has been complied with;

(c) For the purpose of examining any plant, record, register, document or any other material object or for conducting, a search of any place in which he has reason to believe that an offence under this Act or the rules made thereunder has been or is being or is about to be committed and for seizing any such plant, record, register, document or other material object, if he has reason to believe that it may funish evidence of the commission of an offence punishable under this Act or the rules made therunder;

इस सम्बन्ध में नारंगी श्रेणी के उद्योगों हेतु Third Party Certification के सम्बन्ध में प्रस्ताव निम्नानुसार है:–

1. Third Party अपने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित प्रयोगशाला हेतु नामित नोटिफाइड विश्लेषक द्वारा उद्योग का निरीक्षण/जांच रिपोर्ट तथा जल एवं वायु अनुश्रवण की आख्या उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्रीय अधिकारी को प्रस्तुत करेगें।
2. नारंगी श्रेणी के उद्योगों के लिये यह भी व्यवस्था होगी कि वे उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय अथवा भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में अधिसूचित प्रयोगशाला के माध्यम से निरीक्षण/जांच कार्य अपने सुविधानुसार करा सकते हैं।
3. उपरोक्त व्यवस्था तत्काल प्रभाव से वर्ष 2019–20 तक के लिये अथवा Environmental Auditor Empanel होने तक लागू होगा।
4. भविष्य में नारंगी श्रेणी के उद्योगों के Third Party Inspection हेतु बोर्ड स्तर पर Environmental Auditor Empanel किया जाना प्रस्तावित है। Environmental Auditor से समबन्धित विस्तृत प्रस्ताव अलग से तैयार कर अगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा। यह भी प्रस्ताव प्रस्तावित है कि ई0ओ0डी0बी0 में बी0आर0ए0पी0 हेतु बोर्ड द्वारा किये जाने वाले अनुपालनों के सापेक्ष

समय–समय पर निर्गत किये जाने वाले शासन के आदेशों के क्रियान्वयन हेतु अध्यक्ष राज्य बोर्ड को अनुमोदन हेतु अधिकृत किया जाना है।

निर्णयः–

कार्य सूची सं0 21.7 पर बैठक में विचार विमर्श किया गया। सदस्य सचिव द्वारा उपरोक्त 5 बिन्दुओं पर बोर्ड स्तर से की गयी कार्यवाही के संबंध में निम्न प्रकार अवगत कराया गयाः–

- बिन्दु सं0 1 पर बोर्ड सदस्यों को अवगत कराया गया कि XGN portalसे OCMMS के Migaration हेतु एन0आई0सी0 दिल्ली के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है।
- बिन्दु सं0 2 पर हरित श्रेणी के ईकाइयों हेतु स्वयं प्रमाणन हेतु कार्यालय आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।
- बिन्दु सं0 4 जो कि Compliance inspection को Central inspection system के अधीन किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही बोर्ड में OCMMS के संचालन के उपरान्त किया जायेगा।
- बिन्दु सं0 5 जो कि surprise inspection के सम्बन्ध में है, पर बोर्ड द्वारा कार्यालय आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।
- बिन्दु सं0 3 जो कि नारंगी श्रेणी के ईकाइयों हेतु Third party certification की अनिवार्यता के सम्बन्ध में है, पर वर्तमान में बोर्ड द्वारा NABL Accredated Laboratories द्वारा प्रस्तुत किये गये सैम्पल रिर्पोट को स्वीकार किया जाता है, परन्तु ईकाइयों का निरीक्षण कर सैम्पल लेने की कार्यवाही बोर्ड द्वारा सम्पन्न की जाती है। Third Party Certification के अन्तर्गत ईकाइयों का निरीक्षण कर सैम्पल लेने के लिये बोर्ड के इतर अन्य संस्थाओं को अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में विचार विमर्श कर निर्णय लिया जाना है।

निर्णयः–

बोर्ड द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि Third party certificationके अन्तर्गत ईकाइयों (नारंगी/लाल श्रेणी) का निरीक्षण कर सैम्पल लेने के लिये राज्य में स्थित प्रमुख संस्थानों एवं वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अधिकृत संस्थानों को भी अधिकृत किया जाये। बोर्ड द्वारा उपरोक्त समस्त संस्थानों की सूची बनायी जायेगी एवं अध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त करेगी। उक्त कार्यो की एवज में संस्थानों को भुगतान किसके द्वारा किया जायेगा एवं कितना किया जायेगा के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु अध्यक्ष बोर्ड को अधिकृत किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि निरीक्षण हेतु प्रारूप का निर्धारण सदस्य सचिव द्वारा किया जायेगा।

कार्य सूची सं0 21.8 मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण के आदेश दिनांक 15 नवम्बर 2018 एवं 24 जनवरी 2019 के क्रम में मॉनीटिरिंग कमेटी हेतु Logistics Supportके सम्बन्ध में।

प्रस्ताव :–

मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण के आदेश दिनांक 15.11.2018 में निम्न आदेश निर्गत किये गयेः–

We consider it necessary to clarify that while the State may provide the logistics and other facilities, the financial aspects will include the remuneration or other incidental expenses which may be increased with a view to effectively execute the directions of this Tribunal. Such expenses may include secretarial assistance, travel as well as cost incurred for any technical assistance. If any difficulty is experienced in this regard, it will be open to the Committee or the concerned Pollution Control Board Committee to inform this Tribunal by e-mail or otherwise so that appropriate direction may be given. This will also apply to every Committee constituted by this Tribunal, wherever found necessary.

A copy of this order be also sent to all concerned Committeesconstituted by the Tribunal and the PCBs/PCCs.

The State Pollution Control Boards are at liberty to utilize the funds available with them under Consent Mechanism or otherwise.

तदोपरान्त मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 24.01.2019 को निम्न निर्देश दिये गये:-
It is clarified that Dr. Anita Roy will continue to remain part of the Committee for Segment A as well as Segment B for Phase-I, i.e. from Gaumukh to Haridwar and haridwar to Kanpur.
Dr. Anita Roy, may be paid honourarium by the State of Uttarakhand. It is, however, made clear that honourarium will be payable only from one State equal to the current basic pay of the corresponding post which was held by her last which works out ot Rs. 2 lacs per month. The Travelling allowances/expenses will be payable by States of Uttarakhand/Uttar Pradesh depending uponthe area of travel.
उपरोक्त के क्रम में मॉनिटिरिंग कमेटी के अध्यक्ष हेतु निम्न व्यवस्थायें राज्य बोर्ड द्वारा किया जाना है।

1. मॉनिटिरिंग कमेटी के अध्यक्ष हेतु कार्यालय कक्ष।
2. कार्यालय हेतु कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर एवं स्टेशनरी।
3. कार्यालय कार्य हेतु एक दक्ष कम्प्यूटर एसिसटेंट जो कि कार्यालय कार्यों इन्टरनेट में दक्षता रखता हो तथा परिवहन हेतु वाहन।
4. अन्य भुगतान जो Technical Assistance हेतु आयेगा।
5. डा0 अनीता राय, मॉनिटिरिंग कमेटी के सदस्य को रू0 2.0 लाख प्रति माह Honourarium तथा Travelling allowances /expenses.

उपरोक्त के अतिरिक्त मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण द्वारा यह भी निर्देश दिये गये हैं " This will also apply to every committee constitued by this Tribunal where ever found necessary. "
आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि बोर्ड को उपरोक्त में कोई कठिनाई हो तो राज्य बोर्ड मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण को पृथक से अवगत करा सकते हैं।

निर्णय:-

कार्यसूची सं0 21.8 पर बोर्ड बैठक में विचार-विमर्श किया गया तथा प्रस्ताव पर अनुमोदन दिया गया।

कार्यसूची सं0 21.9 बोर्ड में नियमित कार्मिकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुमोदन प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में। वर्तमान प्रकरण श्री महावीर सिंह चौहान, वरिष्ठ सहायक, श्री उमेद सिंह, चपरासी से सम्बन्धित।

प्रस्ताव :-

बोर्ड की 12वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि रू0 40 हजार तक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृति अधिकारी सदस्य सचिव तथा रू0 40 हजार से 1.0 लाख तक बोर्ड के अध्यक्ष एवं रू0 1.0 लाख से ऊपर के प्रतिपूर्ति प्रस्ताव बोर्ड बैठक में स्वीकृति हेतु किया जाये। बोर्ड में श्री महावीर सिंह चौहान, वरिष्ठ सहायक, श्री उमेद सिंह, चपरासी के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	कार्मिक का नाम	1
1	श्री महावीर सिंह चौहान, वरिष्ठ सहायक	श्री महावीर सिंह चौहान, द्वारा रू0 5,01313/- रू0 पांच लाख एक हजार तीन सौ तैरह मात्र का चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय बीजक प्रस्तुत किये गये हैं जो कि महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देहरादून द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित/सत्यापित किये गये हैं जिसका भुगतान किया जाना है।
2	श्री उमेद सिंह चपरासी	श्री उमेद सिंह, द्वारा रू0 1,39116/- रू0 एक लाख उन्चालीस हजार एक सौ सौलह मात्र का चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय बीजक प्रस्तुत किये गये हैं जो कि निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित/सत्यापित किये गये हैं जिसका भुगतान किया जाना है।

निर्णय:-

कार्य सूची सं0 21.9 पर बोर्ड बैठक में विचार-विमर्श किया गया तथा प्रस्ताव पर अनुमोदन दिया गया।